

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	फार्म मशीनरी बैंक
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	एस०एम०ए०एम० योजनान्तर्गत फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदुषण को रोकने हेतु कृषक समूहों, समितियों आदि को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु धनराशि अंकन 10 लाख रु० के यंत्रों पर 8लाख रु० का अनुदान देय है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स०वि०अ०कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाइट	<a href="http://upagriculture.com/">http://upagriculture.com/</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।